

संख्या ६९(१) / 2014 / XXVII(9) / मनोकर-20 / 2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-९

देहरादून: दिनांक २४ सितम्बर, 2014

विषय:- फीचर फिल्म "अंजवाल" को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उम्प्र० आमोद और पणकर अधिनियम-1979 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा-11(1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय फिल्म "अंजवाल" को प्रथम प्रदर्शन की तिथि से दो माह तक शत-प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 (यथावत् उत्तराखण्ड में लागू) तथा आमोद एवं पणकर नियमावली 1981 के नियम/प्राविधानों के अधीन होगी तथा उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

3- निमाता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

4- प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से सूच दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी, आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को यथासमय देना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

।  
(भास्करानन्द)  
सचिव।

संख्या ६९(१) / 2014 / XXVII(9) / मनोकर-20 / 2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
।  
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव।